

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय 27 बीकेसी, सी 27, जी ब्लॉक ब्रांन्ना कुरला कॉम्प्लेक्स ब्रांन्ना (ई) मुम्बई-400051(महाराष्ट्र)
शाखा:- छठी मंजिल अटलांटिस टावर, डी-231/232 आग्रपाली मार्ग, आग्रपाली सर्कल के पास वैशाली नगर, जयपुर-302001(राज.)

विक्रय के लिए सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5), 8(6), 9(1) व 6(2) तथा प्रतिभूतिकरण व वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन जनता से निविदाएं आमंत्रित कर अचल सम्पत्तियों के विक्रय की सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता कोटक महिन्द्रा बैंक लि. (केएमबीएल) के प्राधिकृत अधिकारी (एओ) होने के नाते नीचे उल्लेखित सम्पत्तियों के विक्रय के लिए निविदाएं/प्रस्ताव आमंत्रित करता है, जो मैसर्स सतीश कुमार एंड कम्पनी (नीचे दिए विशेष विवरण के अनुसार) से संबंधित हैं, प्रतिभूतिकरण व वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002(2002 का 3) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार देयताओं की पूर्ण/शेष अदायगी के लिए बुलाया है। यदि डिमांड नोटिस जारी होने के बाद कोई राशि जमा करवाई गई है तो उसका उल्लेख नीचे किया गया है। सम्पत्तियों का विक्रय "जो है, जैसा है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर बिना बिना रिर्कांस के आधार पर किया जाएगा।

ऋणधारक/ों का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा	बकाया राशि
1. मैसर्स सतीश कुमार एंड कम्पनी (ऋणधारक/बंधककर्ता), श्री सतीश कुमार गुप्ता व श्री ललित कुमार गुप्ता की साझेदारी फर्म, पता पी-01, न्यू अनाज मंडी, खैरथल (अलवर)-301404, राजस्थान, 2. मैसर्स रवि इंडस्ट्रीज (जमानतदार), श्री सतीश कुमार गुप्ता के स्वामित्व वाली फर्म, जी-1-1 इंडस्ट्रीयल एरिया खैरथल, खैरथल (अलवर)-301404, राजस्थान 3. श्री सतीश कुमार गुप्ता (जमानतदार) पी-01, न्यू अनाज मंडी, खैरथल (अलवर)-301404, राजस्थान, 4. श्रीमती सरोज बाला गुप्ता (जमानतदार) पी-01, न्यू अनाज मंडी, खैरथल (अलवर)-301404, राजस्थान, 5. श्री ललित कुमार गुप्ता (जमानतदार) पता पी-01, न्यू अनाज मंडी, खैरथल (अलवर)-301404, राजस्थान, 6. श्री श्याम एंटरप्राइजेज (जमानतदार) श्री सतीश कुमार गुप्ता के स्वामित्व वाली फर्म, इस्माइलपुर रोड, खैरथल, खैरथल (अलवर)-301404, राजस्थान।	मैसर्स सतीश कुमार एंड कम्पनी के स्वामित्व वाली गैर-कृषि सम्पत्ति कृषि उपज मंडी समिति खैरथल, अलवर, राजस्थान में अवस्थित दुकान नं. पी-01 गैर-कृषि सम्पत्ति जो व्यावसायिक सम्पत्ति है के सभी खंड व भाग, अधिमापन 152.36 वर्ग मीटर, इस पर वर्तमान व भविष्य के समस्त निर्माण सहित, भूतल पर वर्तमान 922.50 वर्ग फीट शामिल लेकिन सीमित नहीं। इस सम्पत्ति के चार कोने:-पूर्व : कृउमस सड़क, पश्चिम: कृउमस सड़क, उत्तर: दुकान नं. पी-02, दक्षिण: कृउमस सड़क.	रुपए 55.00 लाख	रुपए 5.50 लाख	30.09.2019 के अनुसार रु. 78,04,970.55 आगामी ब्याज, लागत एवं अन्य शुल्क सहित

अन्तिम तिथि तथा स्थान जहां टेण्डर/ प्रस्ताव स्वीकार किये जाएंगे: 05.10.2020 को सायं 5.00 बजे तक, कोटक महिन्द्रा बैंक, छठी मंजिल अटलांटिस टावर, डी-231/232 आग्रपाली मार्ग, आग्रपाली सर्कल के पास वैशाली नगर, जयपुर-302001(राज.)

तिथि तथा स्थान जहां टेण्डर/प्रस्ताव खोले जाएंगे: 06.10.2020 को सायं 4.00 बजे तक, कोटक महिन्द्रा बैंक, छठी मंजिल अटलांटिस टावर, डी-231/232 आग्रपाली मार्ग, आग्रपाली सर्कल के पास वैशाली नगर, जयपुर-302001(राज.)

नीलामी के नियम व शर्तें: 1. इच्छुक पार्टियां अपने प्रस्ताव सीलबंद लिफाफे के ऊपर 'ऑफर फोर सेल ऑफ असेट्स' लिखकर 'आस्तियें/सम्पत्ति का पता लिखें' धरोहर राशि जमा (ईएमडी) कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में जयपुर में देय पे-ऑर्डर/डीडी सहित भेजें। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, सफल पार्टियों की समायोजित की जाएगी और जिस पार्टी को चुक होगा, उसकी जम्मा कर ली जाएगी। उक्त सम्पत्ति ऊपर दिये गये आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं बेची जाएगी। 2. सफल पार्टी को उल्लेखित राशि का 25 प्रतिशत (जिसमें ईएमडी की पुष्टि शामिल है) तुरन्त उसी दिन 06.10.2020 को पे-ऑर्डर/ डीडी के माध्यम से जमा करवानी होगी और शेष 75 प्रतिशत विक्री की पुष्टि होने के 15 दिन तक या पहले जमा करवानी होगी। प्राधिकृत अधिकारी अपनी इच्छा से लिखित में भुगतान का समय बढ़ा सकता है। तब तिथि तक जरूरी भुगतान में असफल रहने की स्थिति में बिना कोई नोटिस दिये ईएमडी तथा तब तक भुगतान की गई समस्त राशि जब्त कर ली जाएगी तथा आगे बिक्री उस निविदादाता के पक्ष में कर्मचर कर दी जाएगी, जिसने अगली सबसे ऊंची बोली लगाई हो या सम्पत्ति/ सम्पत्तियों की पुनः विक्री की जाएगी। 3. ये सभी भुगतान कोटक महिन्द्रा बैंक के पक्ष में केवल बैंकर्स चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किये जाएं। 4. प्राधिकृत अधिकारी तीन उच्च निविदादाताओं को ईएमडी निविदा खुलने की तिथि से दो माह तक रोके रख सकता है। 5. सफल पार्टी को कानून के अनुसार कन्वेन्सज/ बिक्री के लिए देय शुल्क/फीस यथा स्ट्याम्प ड्यूटी/ करों, रजिस्ट्रेशन फीस आदि अदा करने होंगे जो कानून के अनुसार लागू हैं। 6. सम्पत्ति को बिक्री के संबंध में किसी शुल्क, लिप्टन, एन्कम्बेन्स, सम्पत्ति कर या सरकार या किसी व्यक्ति के अन्य किसी बकाया के लिए एओ जिम्मेवार नहीं होगा। 7. एओ को बिना कोई कारण बताए बिक्री के किसी प्रस्ताव को स्वीकार या रद्द करने या रोकने/स्थगित करने का पूर्ण अधिकार होगा। 8. बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि का विषय होगा। 9. बैंक इस घोषणा में किमी गलती, भूल के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। 10. टेण्डर-कम-ऑक्शन दस्तावेज कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, छठी मंजिल अटलांटिस टावर, डी-231/232 आग्रपाली मार्ग, आग्रपाली सर्कल के पास वैशाली नगर, जयपुर-302001(राज.) से बैंक के कार्य समय में 'कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड' के पक्ष में जयपुर में देय डिमांड ड्राफ्ट/ पेय ऑर्डर के माध्यम से 1,000/- रु. की नॉन-रिफंडेबल फीस देकर प्राप्त किये जा सकते हैं। नीलामी को अन्य नियम व शर्तें हमारी वेबसाइट <https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html> पर देखें तथा उनके संबंध में पुछताछ के लिए इच्छुक पार्टियां प्राधिकृत अधिकारी, कोटक महिन्द्रा बैंक, छठी मंजिल अटलांटिस टावर, डी-231/232 आग्रपाली मार्ग, आग्रपाली सर्कल के पास वैशाली नगर, जयपुर-302001(राज.) मो. 9672980959 फोन नं. 0141-5162363 पर 30.09.2020 से कार्यालय समय (प्रातः 10.00 से सायं 5.00 तक) में सम्पर्क कर सकते हैं। 11. ऋणधारक, जमानतदार, जमानतदार और सम्पत्ति के मालिक तथा उनके अधिकृत प्रतिनिधि निविदाओं के खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते हैं उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि और समर्थ प्रतिनिधि उपस्थित रहें। 12. कोटक महिन्द्रा बैंक सम्पत्ति को पूर्ण या हिस्सों के रूप में बेचने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एओ तीन उच्च बोली दाताओं को वार्ता की अनुमति दे सकते हैं।

यह प्रकाशन ऋणधारक/ों और जमानतदार/ों के लिए 30 दिन का नोटिस भी है जो बिक्री ठकवाने के लिए ऊपर बताई गई तिथि तक पूरा बकाया जमा न करवाएं।

दिनांक: 03.09.2020

स्थान: जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी